न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /08 जिला अशोकनगर R 631-PBR/08

हीरालाल आत्मज श्री गंगाराम काछी, निवासी ग्राम गोरा तहसील मुंगावली, जिला अशोकनगर (म.प्र.)...... आवेदक

विरूद्ध

(1) रामगोपाल पुत्र हुकमसिंह कुशवाह

(2) शंकर पुत्र रघुनाथ कुशवाह

(3) भमरलाल पुत्र प्यारेलाल कुशवाह

(4) खिल्लू पुत्र गणेशराम कुशवाह

निवासीगण ग्राम गोरा तहसील मुंगावली, जिला अशोकनगर (म.प्र.) .... अनावेदकगण

न्यायालय आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 65/02–03/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 03/04/2007 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, नायब तहसीलदार द्वारा आवेदक के पक्ष में कब्जे के आधार पर विवादित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किये जाने का आदेश दिनांक 15.10.1991 को पारित किया गया था, क्योंकि उक्त भूमि पर आवेदक का काफी समय पूर्व से कब्जा कास्त करके निरन्तर चला आ रहा था इस कारण तहसील न्यायालय द्वारा इस्तहार का प्रकाशन किया गया एवं आपत्तियां आमंत्रित की गयी किन्तु किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी अतः इस कारण तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक के पक्ष में विवादित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना विशेष उपबन्ध अधिनियम सन् 1984 के अनुसार भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किये गये थे।

2– यहकि, तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनावेदकगणों द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली के समक्ष प्रकरण क्रमांक 16/अपील/93–94 प्रस्तुत की गयी थी जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.12.1993 पारित किया गया। इस आदेश के अनुसार अपील स्वीकार कर तहसीलदार के आदेश दिनांक 15.10.1991 अपास्त किया गया। जबकि अनुविभागीय अधिकारी का यह आदेश अधिकारिता रहित आदेश था क्योंकि उन्हें दखल रहित भूमि पर भूमि

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग.631-पीबीआर/2008 जिला-अशोकनगर

हीरालाल विरूद्ध रामगोपाल अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
२४.08.19	आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर के आदेश दिनांक 03.09.2007 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । **2/** प्रकरण का अवलोकन किया इस प्रकरण में नायब तहसीलदार मुंगावली जिला अशोकनगर द्वारा दिनांक 15.10.1991 को म.प्र. कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अधीन व्यवस्थापन आदेश पारित किया था जिसके विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 15.10.91 को उक्त व्यवस्थापन निरस्त किया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई है उसके पश्चात् यह द्वितीय निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म.प्र. कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 में द्वितीय निगरानी का प्रावधान नहीं होने से यह निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त की जाती है। पक्षकार चाहे तो सक्षमप्राधिकारी/न्यायालय में अनुतोष प्राप्त करने के लिये स्वतंत्र है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । (जे0के0 जैन) सदस्य	